—:प्रेस विज्ञप्तिः—दिनांक-02.08.2022

दिनांक 04.8.2022 को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर 'National Bone and Joint Day' मनाये जाने के अवसर पर यूपी आर्थोपैडिक एसोसिएशन के सहयोग से 'Each ONE Save ONE' थीम पर सडक दुर्घटना, आपदा प्रबन्धन, हृदयघात एवं अन्य किसी चिकित्सीय आकस्मिकता के दौरान पुलिस कर्मियों एवं जनता हेतु 'बेसिक लाईफ सपोर्ट' का प्रशिक्षण दिनांक 01.08.2022 से 07.08. 2022 तक पुलिस लाईन में आयोजित कराया जा रहा है।

प्रशिक्षण के द्वितीय दिन दिनांकः 02.08.2022 को 'Each ONE Save ONE' थीम पर सडक दुर्घटना, आपदा प्रबन्धन, हृदयघात एवं अन्य किसी चिकित्सीय आकस्मिकता के दौरान यूपी आर्थोपैडिक एसोसिएशन के सहयोग से डॉ0 गिरिश डांग व डॉ0 शशिकान्त सैनी, सहारनपुर ऑर्थोपैडिक क्लब, सहारनपुर द्वारा जनपदीय पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियों को 'बेसिक लाईफ सपोर्ट' का प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर श्री अजेन्द्र यादव, क्षेत्राधिकारी प्रथम, प्रतिसार निरीक्षक श्री वीरेन्द्र बहादुर, व पुलिस लाइन्स/यातायात मे नियुक्त लगभग 52 अधि0/कर्म0 उपस्थित रहे।

प्रेस नोट दिनांक-02.08.2022

थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को किया गया, कब्जे से चोरी किये गये 08 मोबाईल व 01 नाजायज छुरा बरामदः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेश के अनक्रुम मे पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे अपराधियो के विरूद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत दिनांक 01.08.22 को थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 288/22 धारा 380/457 भादवि की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त आकिब पुत्र खुर्शीद निवासी सराय मरदान अली खजूर वाली गली निकट जाफरान होटल थाना मंडी सहारनपुर को समय करीब 19.40 बजे खजूर वाली गली होटल सराय मर्दान अली के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त आकिब उपरोक्त के कब्जे से दिनाँक 31.07.22 की रात्रि मे मौहल्ला सराय फैज अली मे विभिन्न घरो से चोरी किये गये कुल 08 मोबाईल फोन व एक अदद छुरा नाजायज बरामद की गयी अभियुक्त आकिब उपरोक्त को मु0अ0स0 288/22 धारा 380/411/457 भादवि व मु0अ0स0 289/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे चालान कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1-आकिब पुत्र खुर्शीद निवासी सराय मरदान अली खजूर वाली गली निकट जाफरान होटल थाना मणडी,सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1. 08 मोबाईल फोन (चोरी किये गये)
2. एक अदद छुरा नाजायज

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 249/17 धारा 380 भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
2-मु0अ0स0 400/21 धारा 307/504 भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
3-मु0अ0स0 401/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
4-मु0अ0स0 186/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना को0मण्डी, सहारनपुर।
5-मु0अ0स0 187/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट व 414 भादवि थाना को0मण्डी, सहारनपुर।
6-मु0अ0स0 288/22 धारा 380/457/ 411 भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
7-मु0अ0स0 289/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. व0उ0नि0 बचन सिह अत्री थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
2. उ0नि0 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
3. का0 1326 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
4. का0 1422 विकास कुमार थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 02.08.2022 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट महोदय के निकट पर्यवेक्षण एवं संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री मनोज चौधरी थानाध्यक्ष थाना बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व मे थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.08.2022 को अभि0 रविन्द्र सैनी उर्फ मुखिया पुत्र वेदपाल सैनी निवासी ग्राम नौरंगपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0स0 174/2022 धारा 188/2022 धारा 506/354घ भादवि व 67 आईटी एक्ट को थाना बिहारीगढ क्षेत्र नौरंगपुर प्राईमरी स्कुल के पास से समय करीब 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभि0 उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

अभि0 का नाम व पता

अभि0 रविन्द्र सैनी उर्फ मुखिया पुत्र वेदपाल सैनी निवासी ग्राम नौरंगपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. निरीक्षक योगेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. रि0का0 2520 अरुण कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. का0 1158 सोनू पायला थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 02/08/22थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेशानुसार व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के दिशा निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के पर्यवेक्षण व श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व मे उ0नि0 श्री अशोक कुमार यादव थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा मय हमराही कर्म0गणों के दौराने चैकिंग अभियुक्त इकराम उर्फ सोनू पुत्र अख्तर मलिक निवासी मंसूर कालोनी अक्शा मस्जिद के सामने थाना मण्डी सहारनपुर उम्र करीब 28 वर्ष को 62 फुटा रोड पर चौराहे के पास चिलकाना रोड की तरफ करीब 20 मीटर की दूरी पर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर से मय 27 ग्राम स्मैक नाजायज के गिरफ्तार किया गया तथा उक्त सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 232/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्त....

इकराम उर्फ सोनू पुत्र अख्तर मलिक निवासी मंसूर कालोनी अक्शा मस्जिद के सामने थाना मण्डी, सहारनपुर उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त के कब्जे से 27 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुई है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास....

1. मु0अ0सं0- 264/19 धारा 8/21 NDPS Act थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 347/20 धारा 60 Ex. Act थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 32/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 200/17 धारा 489A/489B/489C/489D भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अशोक कुमार यादव थाना मण्डी, सहारनपुर
2. है0कां0 246 हेमन्त कुमार थाना मण्डी, सहारनपुर
3. का0 385 सुशील कुमार थाना मण्डी, सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 02.08.2022

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा माल मुकदमाती/लावारिस/ एमवी एक्ट के कुल 216 वाहनो की कराई गई नीलामीः-

अवगत कराना है कि दिनांक 02.08.22 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेश के अनक्रुम मे पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे दिनांक 02.08.22 को माननीय न्यायालय सहारनपुर के आदेशानुसार एंव जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा उपजिलाधिकारी सदर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सदस्य, सम्भागीय परिवहन निरीक्षक व प्र0नि0 कोतवाली देहात की मौजूदगी में थाना कोतवाली देहात पर दाखिल मालमुकदमाती के 216 वाहनो (01ट्रक, 50 कार, 04 ट्रेक्टर, 02 जुगाड़, 04 थ्री व्हीलर, 155 मो0सा0/स्कूटर) की निलामी की गयी । सम्भागीय परिवहन निरीक्षक द्वारा उक्त मालमुकदमाती वाहनो की कीमत का आकलन रू 12,98,000/- किया गया था। वाहनो की नीलामी हेतू कुल 146 व्यक्तियो द्वारा आवेदन किया गया था । नीलामी की प्रकिया के दौरान वाहनो की नीलामी बोलीदाताओ द्वारा अन्तिम बोली रुपये 19,25,000 /- लगायी गयी।

नीलामी वाहनो का विवरणः-

1-01ट्रक
2-50 कार
3-04 ट्रेक्टर
4-02 जुगाड़
5-04 थ्री व्हीलर
6-155 मो0सा0/स्कूटर

नीलामी कराने वाली टीमः-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना को0 देहात, सहारनपुर।
2-निरी0 जितेन्द्र सिंह यादव थाना को0 देहात, सहारनपुर।
3-एचएम 352 लोकेन्द्र सिंह थाना को0 देहात, सहारनपुर।
4-का0 1115 बृजमोहन थाना को0 देहात, सहारनपुर।
5-का0 1233 राहुल कुमार थाना को0 देहात, सहारनपुर।
6-एचसी आपरेटर रवि चौहान